राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.4(3)साप्र/5/2023 जयपुर, दिनांकः21.08.2023

—:: आज्ञा :: —

ट्रांजिट हॉस्टल, गॉधीनगर, जयपुर स्थित आवासों का आवंटन इस विभाग के दिशा–निर्देश संख्या क्रमांक प.7(2)साप्र/5/06 दिनांक 27.10.2006, आदेश क्रमांक दिनांक 12.10.2018 एवं विभागीय आदेश क्रमांक प. 4(3)साप्र/5/2016 दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास **एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए** निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता हैः–

1. आवंटित आवास अस्थाई प्रकृति का आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि की अग्रिम वसूली महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरूद्ध ट्रांजिट हॉस्टल/बजाजनगर अपार्टमेन्ट, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो, तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. संबंधित अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण–पत्र (Pay Slip) महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गॉधीनगर को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. आवंटी को सम्पत्ति विवरण घोषणा–पत्र, गत भुगतान प्रमाण–पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, उपलब्ध कराना होगा।
8. समय–समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड–पे	वरियता संख्या	सेवानिवृति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा, RAS प्राधिकृत अधिकारी, JDA, जयपुर	5400/- L-14	**13/2023**	30-09-2041	**G 1/1, New Transit Hostel**

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त कर कार्यालय, महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
2. महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गॉधीनगर, जयपुर– कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है तथा आवंटी से सम्पत्ति विवरण घोषणा–पत्र, गत भुगतान प्रमाण–पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, प्राप्त करे।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष..।
4. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग– आवंटी को वरीयतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग–को आवंटन पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay Meena
Designation : Joint Secretary
Date: 2023.08.21 13:12:43 IST
Reason: Approved

Room No.1124 Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Tel.No.(J.S.)-0141-2227874 (Fax)-5116626, 2227874
E-Mail-asgad5@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.: 4543703